

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0005**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

18/02/2025 12:02 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	467
2	IPC 1860	468
3	IPC 1860	477-A
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Intervening Days**Date from (दिनांक से):**

05/10/2021

Date To (दिनांक तक):

31/01/2023

Time Period (समय अवधि):**Time From (समय से):** 00:00
hrs**Time To (समय तक):**

00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/02/2025 **Time (समय):** 11:23 hrs(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 18/02/2025 11:23 hrs4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence****(घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-EAST, 6 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**(b) **Address (पता):** Public Health, Divison-2 Hisar,(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**(a) **Name (नाम):** निरीक्षक सत्यपाल नं. 303 सोनीपत(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार, HISAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार, HISAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8168242353

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सूरज मोहन तत्कालीन JE			1. Public Health, Divison-2 Hisar, HISAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में ,

प्रबन्धक अफसर ,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
हिसार मंडल हिसार

श्रीमान जी,

निवेदन है कि कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 10093 /शिकायत /196//हिसार /2024 दिनांक 08.05.2024 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार मण्डल, हिसार के पत्र क्रमांक 1755/ACB/HSR dated 23.05.2024 के अनुसार एक लिखित शिकायत अजाने विक्रम पुत्र वजीर सिंह वासी गांव मंडोली जिला दादरी, बर खिलाफ सूरज मोहन JE पब्लिक हेल्थ डिविजन न. 02 हिसार पड़ताल हेतु मन निरीक्षक को प्राप्त हुई जो शिकायत का मजबूत जैल है:-

सेवा में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सतर्कता विभाग/एंटी करप्शन ब्यूरो, हिसार मंडल हिसार। श्रीमान जी, मैं विक्रम पुत्र वजीर सिंह गांव मंडोली (चरखी दादरी) का निवासी हूँ हमारी फर्म (San Enterprises) Public Health Department में पंजीकृत है और मैं इस फर्म में कानूनी हस्ताक्षरकर्ता हूँ। दिनांक 5/10/2021 को Public Health Division -2 Hissar से हमारी फर्म को memo no. 24265 द्वारा Renovation of water supply scheme including F.H.T.C at Village Harita and bharri Under JJM- cat 2 का कार्य अलॉट हुआ था जनवरी 2023 को हमारी फर्म ने ये कार्य पूरा कर दिया था जिसका फाइनल बिल जेई सूरज मोहन द्वारा एमबी नंबर 1214/2096 के पेज नंबर 120-149 पर दर्ज किया गया था जिसका 10% enhancement SC-TR Panwar द्वारा किया गया था। जिसकी फाइनल वैल्यू 57,00,630 /- रुपये हो गई थी। लेकिन फाइनल बिल देने की एवज में जेई सूरज मोहन द्वारा 20% रिश्त की मांग की गई जो पूरी ना करने पर जेई0 द्वारा बिल को अपने पास ही रख लिया गया हमने कई बार XEN - Sh. Balvinder Nain को लिखित और मौखिक रूप से समस्या से अवगत कराया लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया

जिसके बाद मैंने ये शिकायत CM window पे भी डाली जो की CMOFF/N/2023/165420, CMOFF/N/2024/008434, CMOFF/N/2024/013799 है लेकिन हर बार मेरी शिकायत को झूठा बता कर दिया गया जिसके बाद मैंने आरटीआई द्वारा मेरे बिल की फोटोकॉपी लेनी चाही तो जेई सूरज मोहन द्वारा एमबी के पेज फाइल मेरे बिल को गायब कर दिया गया व उसी नंबर के दूसरे फर्जी पेज लगा के सी.एम. विंडो पर झूठी रिपोर्ट दी जो कि गैर कानूनी जुर्म और बहुत ही अनैतिक कार्य है जेई द्वारा सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। पहले पेज पर मेरे कार्य का बिल, जिसकी कटिंग साफ देखी जा सकती है हमारा आपसे अनुरोध है कि एमबी नं. 1214/2096 को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए जिस से जेई द्वारा कीये गए गैर कानूनी कार्य का पर्दा फाश हो सके।

जब साइट पर यह कार्य चल रहा था उस दौरान जे.ई. सूरजमोहन द्वारा ठेकेदार को पुरानी मोटर पम्प सैट ठेकेदार को दिया गया और बोला गया कि इस मोटर को पेंट करवाकर नई मोटर के दस्तावेज तैयार करवाकर उसके पैसे मेरे को दिये जावे व दस्तावेजों में 10 एच.पी. की मोटर लिखा गया। जबकि मोटर 7.5 एच.पी. की थी। जब ठेकेदार ने इस पर ऐतराज जताया तो जे.ई. द्वारा उसके अन्य कार्यों के बिलों के दस्तावेज बनाने से मना कर दिया गया। जे.ई. के दबाब में आकर ठेकेदार द्वारा उस मोटर पम्प सैट को पेंट करवाकर हरिता पम्प हाउस पर मजबूरीवश लगाना पड़ा। इसके तुरंत बाद जे.ई. द्वारा उस मोटर के दस्तावेज साइन करके ठेकेदार को दिये गये व पास करवाकर उनके पैसे जे.ई. को मुहैया करवाने को बोला गया। हमारी फर्म में आज तक उस पम्प सैट के कागज दफ्तर में दाखिल नहीं किये गये व उस मोटर पम्प सैट के साथ जो अन्य खर्चा लगा था जैसे कि इलैक्ट्रीक स्टार्टर व फाईबर शेड सिर्फ उनके ही दस्तावेज दाखिल किये गये। जे.ई द्वारा ठेकेदार पर बहुत दबाब बनाया गया व अंत में द्वेष भावना रखते हुये हमारा बिल एम.बी. से गायब कर दिया। विभाग ने इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की। हमने बहुत बार बड़े अधिकारी को भी लिखित रूप से अवगत करवाया। CM House तक भी अपनी शिकायत बताई लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया

इसके अलावा EIC, ACS और माननीय मंत्री बनवारी लाल जी को भी लिखित रूप से समस्या से अवगत कराया गया जेई सूरज मोहन द्वारा पहले जितनी Quotation करी गई हैं अगर जांच कराई जाएगी तो 80% से ज्यादा फर्जी निकलेंगी बिल बनाने के बाद जेई ठेकेदार को ज्यादा कमीशन देने पर ब्लैकमेल करता है ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का सरकारी नौकरी पर होना देश के लिए खतरनाक है कृपया मामले पर गौर करें और हमें न्याय दिलाने में मदद करें। इस शिकायत से जुड़े सभी साक्ष्य की प्रति साथ संलग्न है। Thanks and regards भवदीय sd- विक्रम पुत्र वजीर सिंह mob- 7988355068,"

विक्रम उक्त द्वारा दी गई शिकायत में लगाये गये उक्त आरोपो की पड़ताल मन निरीक्षक द्वारा की गई

दौराने जाँच शिकायतकर्ता को शामिल जांच करके पूछताछ की गई तथा मौका पर पहुंचकर शिकायतकर्ता द्वारा दिए गये रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। जो पूछताछ व रिकॉर्ड पड़ताल से शिकायत में लगाये गये आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाए गये। अतः सूरज मोहन तत्कालीन JE, Public Health, Division-2 Hisar ने अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़-छाड़ करने बारे जाँच करने की गहन आवश्यकता है। इसलिए जे0ई0 सूरज मोहन, उपरोक्त के विरुद्ध धारा 13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 467, 468, 477(A) IPC(338, 336, 344 BNS) के तहत अभियोग दर्ज करने व इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य की संलिप्तता पाई जावे तो उसे अनुशंधान के दौरान शामिल करके देख लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, बारे तहरीर पत्र क्रमांक 509 /ACB/HSR Dated 03-02-2025 के अनुसार अनुमोदन हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (ह) पंचकुला को भेजी गई थी जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (ह) पंचकुला के पत्र क्रमांक न.2413 /i-3 /ACB (H) dated Panchkula, the 10-02-2025 के अनुसार अभियोग अंकित करने की अनुमति प्राप्त होने उपरांत आरोपी सूरज मोहन तत्कालीन JE, Public Health, Division-2 Hisar के विरुद्ध अभियोग जेर धारा 13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 467, 468, 477(A) IPC (338, 336, 344 BNS) दर्ज करने के लिए तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा बदस्त सिपाही अमरजीत न. 1399 /SRS के थाना भेजी जा रही है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित करें अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जावे

अज :- कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार

SD Satyapal

(सत्यपाल), निरीक्षक,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

हिसार मंडल हिसार

दिनांक 18.02.2025

AT-11.20 AM.

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा नं. 05 दिनांक 18.02.2025 जेर धारा 13(1)(a) Pc Act 467, 468, 477(A) IPC थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार दर्ज रजि. किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल रिकार्ड आगामी तफतीश हेतु निरीक्षक दलबीर सिंह नं. 97/KNL भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार के हवाले किया जाएगा। प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके बजरियां EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब हिसार व पुलिस अधीक्षक हिसार की सेवा में भेजी जा रही हैं।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Dalbir Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 97KNL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ajmer Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 482/RR

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)